आदेश ब इजलास अन्तर सिंह नेहरा आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

प्रकरण संख्या 212/2021 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

इण्डियन बैंक शाखा मध्यम मार्ग, मानसरोवर, जयपुर, ।

प्रार्थी बैंक

बनाम

1. रंजन शर्मा पुत्र श्री संतोष शर्मा
   पता–प्लाट नं॰ 513 गोविन्द राव का, रास्ता चौकडी पुरानी बस्ती, चांदपोल बाजार, जयपुर एवं
   प्लाट नं॰ 63 कृष्णा विहार, रजत पथ, मानसरोवर, जयपुर ।
2. श्रीमती जया शर्मा पत्नी श्री रंजन शर्मा
3. आलोक शर्मा पुत्र श्री संतोष शर्मा
   प्लाट नं॰ 63 कृष्णा विहार, रजत पथ, मानसरोवर, जयपुर ।

अप्रार्थी ऋणी

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002.

उपस्थित :–

1. श्री विजय सिंह गुर्जर अधिवक्ता प्रार्थी बैंक की ओर से।
2. श्री कपिल अरोडा अधिवक्ता अप्रार्थीगण की ओर से।

आदेश

दिनांकः 04.01.2022

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 17.03.2017 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्री रंजन शर्मा पुत्र श्री संतोष शर्मा के स्वामित्व की सम्पत्ति प्लाट नं॰ 513 गोविन्द राव का, रास्ता चौकडी पुरानी बस्ती, चांदपोल बाजार, जयपुर क्षेत्रफल 128.88 वर्गगज को बन्धक रख कर राशि 31,72,000/–रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 19.02.2020 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी बैंक ने The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक उक्त सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है।

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया । न्याय हित में अप्रार्थी ऋणियों को सूचना पत्र जारी किये गये। अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री कपिल अरोडा ने उपस्थित होकर वकालतनामा व दस्तावेज उपलब्ध कराने का प्रार्थना पत्र पेश किया ।

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जयपुर

3. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।

4. प्रार्थी ने पूर्व में भी दस्तावेज उपलब्ध कराने का निवेदन किया था, जिस पर उभय पक्ष को सुन कर दिनांक 30.11.2021 को प्रार्थी का निवेदन खारिज किया जा चुका है। सरफेशी एक्ट की धारा 14 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई किये जाने का प्रावधान नहीं है, फिर भी न्यायहित में की ऋणी को उसके विरूद्व की जा रही कार्यवाही से सूचित किया गया है। ऋणी ने प्रार्थी बैंक से ऋण लिया जाना स्वीकार किया है। सरफेशी एक्ट की धारा 14 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का 30 दिवस या अधिकतम 60 दिवस में निस्तारण किये जाने का प्रावधान है। अप्रार्थी को पर्याप्त अवसर दिया जा चुका है, ओर अधिक समय नही दिया जा सकता है।

5. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी को 31,72,000/–रूपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बंन्धक के रूप में प्रार्थी बैंक के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थी का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय ब्याज कुल 26,71,043–53 रूपये जमा कराने हेतु अप्रार्थी को दिनांक 19.02.2020 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी द्वारा उक्त नोटिस का बैंक को कोई जबाब नहीं दिया गया और अप्रार्थी द्वारा बैंक को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रूपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत बैंक बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत बैंक के पक्ष में बन्धक रखी गई उक्त कार का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है।

6. अतः The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी बैंक के पक्ष में अप्रार्थी श्री रंजन शर्मा पुत्र श्री संतोष शर्मा के स्वामित्व की बन्धक सम्पत्ति प्लाट नं॰ 513 गोविन्द राव का, रास्ता चौकडी पुरानी बस्ती, चांदपोल बाजार, जयपुर क्षेत्रफल 128.88 वर्गगज का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।

7. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को प्राप्त करने में सहयोग कर बैंक को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करे। आदेश की प्रति हस्ब कायदा जारी हो । पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

8. आदेश आज दिनांक 04.01.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

4/1/22

(अन्तर सिंह नेहरा)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर